

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

ई-मेल : higheredu3@rajasthan.gov.in, higheredu3@gmail.com, दूरभाष : 0141-5153222, 5153223, 5153660 (आई.पी. नं. : 24870)

क्रमांक प. 6(25)शिक्षा/ग्रुप-3/2024-04245

जयपुर, दिनांक:-हस्ताक्षर दिनांक

:- आदेश :-

परिवर्तित बजट घोषणा वर्ष 2024-25 दिनांक 16.07.2024 के बिन्दु संख्या-21(1) की अनुपालना में निम्नांकित 07 महाविद्यालयों (06 सहशिक्षा व 01 कन्या शिक्षा) में नवीन MBA पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्यक्षीन एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

महाविद्यालयों के नाम	बजट मद	पदनाम	प्रति महाविद्यालय पदों की संख्या	कुल स्वीकृत पदों की संख्या	
1.सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर 2.महारानी श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर 3.राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर 4.राजकीय महाविद्यालय सांगानेर 5.राजकीय महाविद्यालय जोधपुर 6.राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा 7. राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर	बजट मद- 2202- सामान्य शिक्षा 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 103-राजकीय महाविद्यालय तथा संस्थान 02-राजकीय महाविद्यालय (पुरुषों के लिए) राज्य निधि 03- राजकीय महाविद्यालय (स्त्रियों के लिए) राज्य निधि	सह आचार्य	02	14	
		सहायक आचार्य	02	14	
		Training and placement officer	00 सहायक आचार्य से उक्त कार्य निष्पादित कराये जाने के आधार पर	00	00
		सूचना सहायक	01	07	
		कनिष्ठ सहायक	01	07	
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	02 Multi Task Worker (होमगार्ड के माध्यम से)	14	14
		कुल योग		08	56

- उक्त पद वित्त विभाग की आई.डी. सं. 102101918 दिनांक 21.05.2021 में प्रदान किये गये परामर्श अनुसार गठित राजसेस सोसाइटी के अधीन रहेंगे।
- सोसाइटी के तहत कार्मिकों की उपलब्धता होने तक नवीन महाविद्यालयों में विद्या संबल मॉडल पर विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फेकल्टी के रूप में/विद्यमान नियमित कार्मिकों को आवश्यकतानुसार लगाया जा सकेगा।

Signature valid

Digitally signed by Haritabh Kumar Aditya
Designation : Deputy Secretary
Date: 2024.09.17 18:55:22 IST
Reason: Approved



3. एमबीए पाठ्यक्रम राजकीय महाविद्यालयों के विद्यमान भवन में आरंभ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अतिरिक्त भवन की आवश्यकता होने पर विस्तृत तकमीना के साथ औचित्यपूर्ण प्रस्ताव यथासमय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
4. अन्य आवर्तक/अनावर्तक व्यय के प्रावधान के संबंध में आयुक्तालय सम्बन्धित बजट मदों में उपलब्ध बजट प्रावधान का उपयोग करने एवं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त प्रावधान के प्रस्ताव यथासमय प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 152401870 दिनांक 12.09.2024 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हरिताभ कुमार आदित्य)

शासन उप सचिव प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. उप सचिव, माननीय मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
8. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग।
9. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
13. सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव प्रथम

Signature valid

Digitally signed by Haritabh Kumar
Aditya
Designation : Deputy Secretary
Date: 2024.09.17 18:55:22 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

ई-मेल : higheredu3@rajasthan.gov.in, higheredu3@gmail.com, दूरभाष : 0141-5153222, 5153223, 5153660 (आई.पी. नं. : 24870)

क्रमांक प. 6(25)शिक्षा/ग्रुप-3/2024-04245

जयपुर, दिनांक:-हस्ताक्षर दिनांक

-: शुद्धि पत्र :-

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17.09.2024 की तालिका के कॉलम संख्या 01 के बिन्दु संख्या 04 में आयी अभियुक्ति "राजकीय महाविद्यालय, सांगानेर" के स्थान पर "राजकीय महाविद्यालय जयपुर" पढ़ा जावे। शेष शर्तें यथावत रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हरिताभ कुमार आदित्य)

शासन उप सचिव प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. उप सचिव, माननीय मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
8. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग।
9. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
13. सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव प्रथम

Signature valid

Digitally signed by Haritabh Kumar
Aditya
Designation : Deputy Secretary
Date: 2024.09.18 15:13:40 IST
Reason: Approved





राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/> e-mail: jdplan.cce@gmail.com Phone : 0141-2706847 (o)

क्रमांक: एफ 6(7) आयो/आकाशि/बजट घोषणा/2024-17458 पार्ट 5

विषय:- परिवर्तित बजट घोषणा वर्ष 2024-25 दिनांक 16 जुलाई 2024 के बिन्दु संख्या 21.1 की अनुपालना में 07 राजकीय महाविद्यालयों (06 सहशिक्षा व 01 कन्या) में MBA पाठ्यक्रम खोले जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

संदर्भ:- शासन उप सचिव-प्रथम का पत्रांक प.6(25)शिक्षा/गुप-3/2024-04245 दिनांक 17.09.2024 व शुद्धि पत्र दिनांक 18.09.2024

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ:

- संयुक्त सचिव, कार्यालय, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, कार्यालय, माननीय उपमुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, कार्यालय, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (गुप-3) विभाग राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (गुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- कुल सचिव, संबंधित विश्वविद्यालय को भेजकर लेख है कि स्वीकृतिनुसार राजकीय महाविद्यालयों में खोले गये MBA पाठ्यक्रम को सम्बद्धता प्रदान करने का श्रम करें।
- संयुक्त निदेशक, राजसेस कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि स्वीकृतिनुसार राजकीय महाविद्यालयों में खोले गये MBA पाठ्यक्रम में आगामी सभी आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
- संयुक्त निदेशक, अकादमिक कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है स्वीकृतिनुसार राजकीय महाविद्यालयों में खोले गये MBA पाठ्यक्रम में प्रवेश संबंधी समस्त कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
- संयुक्त निदेशक, एचआरडी आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि राजकीय महाविद्यालयों में खोले गये MBA पाठ्यक्रम में संकाय सदस्य/गैस्ट फैकल्टी लगवाये जाने की कार्यवाही करें।
- संयुक्त निदेशक, प्रशासन आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि स्वीकृतिनुसार राजकीय महाविद्यालयों में खोले गये MBA पाठ्यक्रम के संबंध में सीएमआईएस पर अद्यतन व अन्य आवश्यक कार्यवाही करें।
- प्राचार्य, संबंधित राजकीय महाविद्यालय को भेजकर लेख है कि स्वीकृतिनुसार खोले गये MBA पाठ्यक्रम की संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता, AICTE से मान्यता, प्रवेश व अन्य आवश्यक कार्यवाही करे।
- वेबसाइट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
- रक्षित पत्रावली।

(डॉ. विजेन्द्र कुमार शर्मा)

संयुक्त निदेशक (आयोजना)
कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर

Digitally signed by Vijeendra Kumar
Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2024.09.18 18:29:52 IST
Reason: Approved

